

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक:-प. 5(7)गृह-1/2022

जयपुर, दिनांक:- 07.09.2022

आज्ञा

राजस्थान विधि विज्ञान प्रयोगशाला सेवा नियम, 1979 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 30.08.2022 की अभिशंषा-अनुसार निम्नांकित अधिकारी को योग्यता-सह-वरिष्ठता के आधार पर निदेशक के पद पर उनके नाम के सम्मुख अंकित वर्ष की रिक्ति के विरुद्ध एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है :-

क्र. सं.	पदोन्नत होने वाले अधिकारी का नाम	पदोन्नति पर पदनाम	पदोन्नति वर्ष	रिक्ति दिनांक
1.	डॉ अजय शर्मा	निदेशक	2022-23	01.04.2022

डॉ अजय शर्मा को रिक्ति तिथि से कार्यग्रहण करने की तिथि तक का वेतन निर्धारण का लाभ नोशनल एवं कार्यग्रहण करने की दिनांक से वास्तविक लाभ देय होगा। डॉ शर्मा अग्रिम आदेशों तक वर्तमान पदस्थापन स्थान पर ही कार्य करते रहेंगे।


राज्यपाल की आज्ञा से,


(जगवीर सिंह)

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव/ शासन सचिव, गृह।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
- ✓ 5. वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-6) विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. निदेशक, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राजस्थान जयपुर।
7. डॉ अजय शर्मा, निदेशक, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला।
8. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव, पुलिस